

## प्राक्कथन

सरकारी कम्पनियों (मानी गयी सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबन्धों के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) उन कम्पनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते हैं जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां देता है अथवा उसके द्वारा एक पूरक रिपोर्ट जारी की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उस विधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति देता है जिसमें कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

2. पांच निगमों अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में सुसंगत संविधियों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उनका एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक निगम अर्थात् केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निगम को शासित करने वाली सम्बन्धित संविधि के अधीन नियुक्त किए गए सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बाद अनुपूरक अथवा नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।
3. मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कम्पनी अथवा निगम के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अन्तर्गत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए हैं।
4. इस प्रतिवेदन में समीक्षित सीपीएसईज़ के लेखाओं में 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (जो प्राप्त हुए हैं) के लेखे शामिल हैं। सीपीएसईज़ के संबंध में जहां किसी विशेष वर्ष के लेखे 30 नवम्बर 2013 से पहले प्राप्त नहीं हुए थे, वहां पिछले लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े अपनाए गए हैं।
5. कुछ सीपीएसईज़ के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष के आंकड़े लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों द्वारा अनन्तिम आंकड़ों के प्रतिस्थापन के कारण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2013 की संख्या 2 में दर्शाए गए तदनुरूपी आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

6. इस प्रतिवेदन में 'सरकारी कम्पनियों/निगमों या सीपीएसईज़ " के सभी प्रसंग 'केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों " के प्रसंग में माने जाएं जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।